

21/04/23 मेजावली कर्मगारी दरगह में होने के कारण
पत्रावली आदिनादिनांक 25/04/23 को पत्रा हो।

25/04/23 पत्रावली पत्रा हुई। वकील प्रार्थी उपरो विधार्थीजिन
के नोरेस रिश्वत आदि गुनाहामील प्राप्त होने के बावजूद
कोई डा. नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा
प्रामवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील
ने बहल सुनेने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की
बहल सुनी गई। पत्रावली एवं संलग्न फलवेजोरो का
अवलोकन किया गया जिसमें उलील होना है कि प्रार्थी
वकील का प्रार्थना पत्र रचीकर करने योग्य है। अतः
नेरपमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाऊा शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल कुमार होकर
दारिकुन दफ्तर को लक्ष्मी के अम हो।

Blank

विश्वसनीय प्रमाण के लिए प्रमाणित किया गया
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है

विश्वसनीय प्रमाण के लिए प्रमाणित किया गया
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है

प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है
प्रमाणित किया गया है कि प्रमाणित किया गया है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 412/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

कृष्णराम वगैरा बनाम जुमा वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री दोष मोहम्मद

निर्णय


दिनांक - 25/04/2023

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा आलिसरों की बस्ती के खेत खसरा संख्या 505/298 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बरानी दायम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा आलिसरों की बस्ती के खेत खसरा संख्या 505/298 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बरानी दायम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <p>1. कृष्णराम पुत्र ठाकराराम 2. वीराराम पुत्र ठाकराराम 3. बादली पुत्री ठाकराराम 4. सियली पुत्री ठाकराराम जातियान-भील, निवासी- आलीसरों की बस्ती, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <p>1. जुमा पुत्र जवाराम 2. मुकना पुत्र जवाराम 3. उमेदी पत्नि जवाराम 4. नानजीराम पुत्र मेहराजराम 5. एजनां पुत्री मेहराजराम 6. सरियत पुत्री मेहराजराम जाति-भील, निवासी-आलिसरों की बस्ती, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 7. लखाराम पुत्र पैलादराम 8. तीजों पत्नि मूलाराम 9. राणाराम पुत्र जोधाराम जाति-मेघवाल, निवासी-आलिसरों की बस्ती, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार सेड़वा</p>
---	--------------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 412/2022

दिनांक : 25/04/2023

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा आलिसरों की बस्ती के खेत खसरा संख्या 505/298 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
0/सेड़वा

दिनांक

25/04/2023

क्रमांक/भू.अ./2023/ 755-758

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी कृष्णराम पुत्र ठाकराराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण जुमा पुत्र जवाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड/धोरीमन्ना/धनाऊ।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
0/सेड़वा